

कार्यालय आदेश सं. 57/17

कार्यालय आदेश सं. 93/15 एवं पृ/0 सं. का/सिग./254/एम.ए.सीपी./भाग-111 दिनांक 26-11-15 के अनुसार कर्मचारी को प्रथम एम.ए.सीपी.का लाभ दिया गया है जिसके आधार पर कर्मचारी 01 माह के अन्दर विकल्प पर वेतन निर्धारण हेतु आवेदन दिया गया है,जिसके अनुसार कर्मचारी का वेतन उनके पद के समक्ष वेतन निर्धारण किया जाता है ।

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पद,वेतनमान एवं कार्यस्थल	पूर्व निर्धारित वेतन	संशोधित वेतन
01	मो. अजीम खाँ	हे.खलासी/टेली 5200-20200+1800	7370+1800=9170 01-07-14 7650+1900=9550 03-05-15 (प्रथम एम.ए.सी.पी.) 25200/-01-01-16 26000/-01-07-16	7370+1800=9170 01-07-14 7370+1900=9270 3-05-15 (प्रथम एम.ए.सी.पी.) 7940+1900=9840 01-07-15 (विकल्प पर) 26000/-01-01-16 26800/-01-07-16


उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है ।

सहायक कार्मिक अधिकारी
वाराणसी
दिनांक 07-06-17

सं. का/सिग/पीसी/मो. अजीम खाँ

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. वमंसिदूई/वमंविप्र./वारा./मंसिदूई/वारा. ।
2. मु.कार्याधी /सिग/टेली बिल/मु.कार्याधी/सिग अनुभाग ।
3. सीसेई/टेली/*वारा./ संबंधित कर्मचारी /एम.पी.पी. सेल ।
5. मंडल मंत्री नरमू/अजा.अजजा.एसो.वारा. ।


हायक कार्मिक अधिकारी
वाराणसी